**प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम**
**एवं जिला कलक्टर उदयपुर**
**निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसंवाल आई.ए.एस.**

प्रकरण संख्याः 119/**2024** (अपील सूचना का अधिकार)

Ratan Singh Rao Add. Village Bhatoli, Tehsil-Sabla, Dist- Dungarpur, Rajasthan

..............अपीलार्थी

**बनाम**

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर (राज.)

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर उदयपुर

## प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

# निर्णय

दिनांकः ..............

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329224198687315 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 05.07.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुतं कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 2937011484 दिनांक 02.09.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/119/24/1021–22 दिनांक 02.09.2024 से लिखा गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गिर्वा द्वारा जरिये पत्र क्रमांक भू.अ./सूअअ/2005/प्र.अ./119/2024/2032–33 दिनांक 09.09.2024 से तहसीलदार कुराबड़ को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अंतरित करते हुए कार्यालय को अवगत करवाया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 05.07.2024 को ऑनलाईन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए तहसीलदार गिर्वा के कार्यालय से सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील करने के उपरांत तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपीलार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र जरिये पत्रांक 2032–33 दिनांक 09.09.2024 से तहसीलदार कुराबड़ को अंतरित किया गया।

चूंकि सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना का अंतरण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(ii) के अनुसार निर्धारित समयावधि 5 दिवस में नहीं किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर को निर्देशित किया जाता है कि यदि

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

अपीलार्थी द्वारा चांही गई वांछित सूचना तहसीलदार कुराबड़ द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है तो वह अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही वांछित सूचना तहसीलदार कुराबड़ से प्राप्त कर अपीलार्थी को उपलब्ध करावे। साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
**प्रथम अपील अधिकारी,**
**सूचना का अधिकार अधि.**
**एवं जिला कलक्टर, उदयपुर**